26

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 501] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 27, 2000/आश्विन 5, 1922

No. 501] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 27, 2000/ASVINA 5, 1922

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

(महालेखा नियंत्रक)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2000

सा.का.नि. 750(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय सिविल लेखा सेवा (वेतन और लेखा अधिकारी) भर्ती नियम, 1977 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, केन्द्रीय सिविल लेखा सेवा के वेतन और लेखा अधिकारी और वरिष्ठ लेखा अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल लेखा सेवा (वेतन और लेखा अधिकारी और वरिष्ठ लेखा अधिकारी) भर्ती नियम, 2000 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पद/पदों पर लागू होंगे।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **पदों के नियंत्रक अधिकारी.**—पद वित्त मंत्रालय के लेखा महानियंत्रक के नियंत्रणाधीन होंगे।

6. **स्थानांतरण का दायित्व.**—वेतन और लेखा अधिकारी और वरिष्ठ लेखा अधिकारी भारत में कहीं भी स्थानांतरित किए जाने के दायित्वाधीन होंगे।

7. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

File No. A-65061(55)/7/2020-Group B-CGA (Computer No. 865)
Generated from eOffice by SHASHI BHUSHAN DWIVEDI, AAO(SBD)-GROUP_B, AAO(GROUP-B), CGA on 15/09/2025 04:23 pm

57158/2022/Gr.B-CGA

268-A

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

8. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

9. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन-सह-ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
1. वेतन और लेखा अधिकारी	105* (2000)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अनुसचिवीय	7500-250-12000 रु.	चयन सह ज्येष्ठता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
2. वरिष्ठ लेखा अधिकारी	422* (2000)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित, अनुसचिवीय	8000-275-13500 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
1. लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
2. लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
11	12
1. प्रतिनियुक्ति द्वारा	(क) प्रोन्नति :— ऐसे सहायक लेखा अधिकारी, जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है, जिसके न हो सकने पर ऐसे सहायक लेखा अधिकारी जिन्होंने सहायक लेखा

File No. A-65061(55)/7/2020-Group B-CGA (Computer No. 865)
Generated from eOffice by SHASHI BHUSHAN DWIVEDI, AAO(SBD)-GROUP_B, AAO(GROUP-B), CGA on 15/09/2025 04:23 pm

11	12
	अधिकारी/कनिष्ठ लेखा अधिकारी की श्रेणी में छ: वर्ष सम्मिलित सेवा की है जिसमें से दो वर्ष की सेवा सहायक लेखा अधिकारी के रूप में अवश्य की हो। टिप्पण:—जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।
2. प्रोन्नति द्वारा	ऐसे वेतन और लेखा अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों केसंबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
1. समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे (प्रोन्नति केसंबंध में विचार करने के लिए) :— 1. संयुक्त लेखा महानियंत्रक—अध्यक्ष 2. मुख्य लेखा नियंत्रक या लेखा नियंत्रक—सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
2. समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति केसंबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. संयुक्त लेखा महानियंत्रक—अध्यक्ष 2. मुख्य लेखा नियंत्रक या लेखा नियंत्रक—सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फाइल सं. ए-12018/1/91/एम एफ. सी सी ए(ए)/जी आर ''बी'']

यू. के. मैत्रा, संयुक्त महालेखा नियंत्रक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

(CONTROLLER GENERAL OF ACCOUNTS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 2000

G.S.R. 750(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Civil Accounts Service (Pay and Accounts Officers) Recruitment Rules, 1977, except as

267A

respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Pay and Accounts Officer and Senior Accounts Officer of the Central Civil Accounts Service, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Civil Accounts Service (Pay and Accounts Officer and Senior Accounts Officer) Recruitment Rules, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and scales of pay.**—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

5. **Controlling Authority of the posts.**—The posts shall be controlled by Controller General of Accounts in Ministry of Finance.

6. **Liability for transfer.**—The PAO and Sr. AO shall be liable to transfer any where in India.

7. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage, with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

8. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

9. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection by merit or selection-cum-seniority or non-selection post
1	2	3	4	5
1. Pay and Accounts Officer	105* (2000)	General Central Service, Gr. 'B' Gazetted-Ministerial	Rs. 7500-250-12000	Selection-cum-seniority
2. Senior Accounts Officer	422* (2000)	General Central Service, Gr. 'B'. Gazetted-Ministerial	Rs. 8000-275-13500	Non-Selection

*Subject to variation dependent on work load.

Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
6	7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

57158/2022/Gr.B-CGA

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
11	12	13	14
By promotion	(a) **Promotion :** Assistant Accounts Officers with three years regular service in the grade failing which Assistant Accounts Officers with six years of combined service in the grade of Assistant Accounts Officer/Junior Accounts Officer of which two years must be in the grade of Assistant Accounts Officer. **Note 1.**—Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of : 1. Joint Controller General of Accounts—Chairman. 2. Chief Controller of Accounts or Controller of Accounts—Members.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.
By promotion	**Promotion :** Pay and Accounts Officer with two years of regular service in the grade. **Note 1.**—Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of : 1. Joint Controller General of Accounts—Chairman 2. Chief Controller of Accounts or Controller of Accounts—Members.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[No. A-12018/1/91/MF.CCA(A)/GR"B"]

U.K. MAJTRA, Jt. Controller General of Accounts

2621 GI/2000.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

File No. A-65061(55)/7/2020-Group B-CGA (Computer No. 865)
Generated from eOffice by SHASHI BHUSHAN DWIVEDI, AAO(SBD)-GROUP_B, AAO(GROUP-B), CGA on 15/09/2025 04:23 pm

266

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page No. 1046

Dated 13-8-2005

वित्त मंत्रालय

MINISTRY OF FINANCE

(व्यय विभाग)

(महालेखा नियंत्रक)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2005

सा.का.नि. 272.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सिविल लेखा सेवा (वेतन और लेखा अधिकारी और वरिष्ठ लेखा अधिकारी) भर्ती नियम, 2000 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल लेखा सेवा (वेतन और लेखा अधिकारी और वरिष्ठ लेखा अधिकारी) भर्ती (संशोधन) नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय सिविल लेखा सेवा (वेतन और लेखा अधिकारी और वरिष्ठ लेखा अधिकारी) भर्ती नियम, 2000 की अनुसूची में :—

(क) स्तंभ 5 में, ''चयन-सह-ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन पद'' शीर्षक के स्थान पर ''चयन अथवा अचयन पद'' शीर्षक रखा जाएगा;

(ख) स्तंभ 5 में, ''चयन-सह-ज्येष्ठता'' प्रविष्टि के स्थान पर ''चयन'' प्रविष्टि रखी जाएगी।

[फा. सं. ए-12018/1/91/एमएफ-सीजीए(ए)/श्रे. ख.]

एम. जे. जोसफ, संयुक्त महालेखा नियंत्रक

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 27 सितम्बर, 2000 में सा.का.नि. 750 (अ) तारीख 25 सितम्बर, 2000 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

(Department of Expenditure)

(Controller General of Accounts)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2005

G.S.R. 272.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes following rules to amend the Central Civil Accounts Service (Pay and Accounts Officer and Senior Accounts Officer) Recruitment Rules, 2000, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Civil Accounts Service (Pay and Accounts Officer and Senior Accounts Officer) Recruitment Amendment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Civil Accounts Service (Pay and Accounts Officer and Senior Accounts Officer) Recruitment Rules, 2000, in the Schedule :—

(i) in column 5 for the heading "whether selection by merit or selection-cum-seniority or non selection post" the heading "whether selection or non selection post" shall be substituted.

(ii) for the entry occurring below column 5 "selection-cum-seniority" the entry "selection" shall be substituted.

[F. No. A-12018/1/91/MF CGA(A)/Gr 'B']

M.J. JOSEPH, Jt. Controller General of Accounts

Note :—The Principal Rules were published in the Gazette of India, Extraordinary dated the 27th September, 2000 vide GSR 750(E) dated 25th September, 2000.

MGIPRRND—2394 Fin/2005—100

File No. A-65061(55)/7/2020-Group B-CGA (Computer No. 865)
Generated from eOffice by SHASHI BHUSHAN DWIVEDI, AAO(SBD)-GROUP_B, AAO(GROUP-B), CGA on 15/09/2025 04:23 pm